उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3
संख्या-67/2026/491के-2/22-3-25-17(1413)/2023
लखनऊ: दिनांक:17 मार्च, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार-2, जिला कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी पुष्पा देवी (बन्दी संख्या-61/2017) पत्नी श्री रामदास, निवासी ग्राम-खमरिया आजमपुर, थाना-मीरगंज, जनपद-बरेली, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-467/2014 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 203 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(भ्र0नि0अधि0), कक्ष संख्या-2, बरेली के दण्डादेश दिनांक 28.02.2017 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, की दिनांक 25.02.2023 तक आयु 70 वर्ष होने, संतोषजनक जेल आचरण होने तथा दिनांक 25.02.2023 तक 08 वर्ष 05 माह 21 दिन की अपरिहार सजा एवं 09 वर्ष 10 माह 10 दिन की सपरिहार सजा भोगने के दृष्टिगत शेष सजा को परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, बरेली के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, बरेली।
3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार-2 जिला कारागार, बरेली।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री/ मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।